दिनांक 29.05.2015

ज्ञापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया,
माननीया मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार
जयपुर।

विषय : सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों एवं विशेष रूप से ग्राम–डांगावास, जिला–नागौर में मेघवाल जाति के व्यक्तियों की ट्रेक्टरों से कुचलकर निर्मम हत्या के विरोध में।

महोदय,

सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे है तथा दिनांक : 14–05–2015 को नागौर जिले के ग्राम–डांगावास में मेघवाल जाति के व्यक्तियों की भूमि से कब्जा छीनने को लेकर मेघवाल जाति (अनुसूचित जाति वर्ग) के 04 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही ट्रेक्टरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी तथा गम्भीर रूप से घायल एक व्यक्ति की अजमेर के राजकीय अस्पताल में दिनांक : 23–05–2015 को मृत्यु हो गई। 14 व्यक्ति जिनमें छः महिलाऐं शामिल है को ट्रेक्टरों से कुचलकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया एवं उनके साथ घृणमतम दुर्व्यवहार किया गया, सभी घायल व्यक्ति अजमेर जिले के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती है। जाट समुदाय के 400–500 व्यक्तियों द्वारा इन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की क्रूरतम तरीके से हत्या की गई है।

यह हत्या ही नही बल्कि जघन्य हत्याकाण्ड है क्योकि ग्राम के 400–500 जाट समूदाय के लोगों के द्वारा इन गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लोगों के घरों को ट्रेक्टर से रोन्दा गया। पुरूष व महिलाओं पर ट्रेक्टर चलाकर हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया। मृतकों की आखों में लकड़ियां घुसाई गई तथा महिलाओं के साथ में केवल बलात्कार ही नही किया गया वरन् उनके कपड़े उतार कर शर्मनाक कृत्य किया गया जिसका वर्णन यहां नही किया जा सकता है। हैवानियत से भरे इस निकृष्टतम कृत्य नें मानवता के इतिहास को भी शर्मसार किया गया है।

यह भी ध्यान में लाया गया है कि यहां के अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों की भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा है। राजस्थान राज्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42–बी, का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। काश्तकारी अधिनियम

की धारा–183 बी व सी, के तहत् तहसीलदार को मुकदमा दर्ज कराने के अधिकार दिये गये है परन्तु आज तक एक भी मुकदमा दर्ज नही किया गया है।

ग्राम में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की जानकारी ग्राम पटवारी व अन्य राजस्व अधिकारियों को होती है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नही होती है, यदि यही स्थिति चलती रही तो भविष्य में इसके गम्भीर परिणाम हो सकते है।

लगातार....2....पर

महोदया, ग्राम में पूर्ण रूप से आतंक छाया हुआ है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गांव से पलायन कर रहें है। इस घटना से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग उद्वेलित है। अतः आपसे प्रार्थना है कि अविलम्ब प्रभावशाली कार्यवाही करनें के लिये अधिकारियों को निर्देशित करें।

इस जघन्य व शर्मनाक हत्याकाण्ड में मरनें वाले तथा घायल व्यक्तियों को निम्नप्रकार सहायता उपलब्ध करवाई जावें :–

1. पीड़ित परिवार व ग्राम में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावें।
2. उक्त प्रकरण में लिप्त व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावें।
3. उक्त प्रकरण की जांच स्थानीय पुलिस से नही कराई जाकर, राज्य सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरों से (सी.बी.आई.) कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जांच के लिये त्वरिकता के निर्देश देते हुए दो माह में चालान पेश करने की कार्यवाही की जावें।
4. मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा बहुत कम आर्थिक मदद दी गई है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 20 लाख रूपये की आर्थिक मदद दिलाई जावें तथा प्रत्येक मृतक परिवार के आश्रित सदस्य को सरकारी नौकरी दी जावें।
5. घायल व्यक्तियों को 05 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिलाई जावें।
6. घायल व्यक्तियों की चिकित्सा पूर्ण रूप से निःशुल्क कराई जावें।
7. काश्तकारी अधिनियम की धारा–42–बी, की जांच सम्पूर्ण नागौर जिले एवं राज्य के अन्य जिलों में भी करवाई जावें। अधिकारियों को यह भी निर्देश देवे कि राजस्थान राज्य में दलितो की भूमि पर कब्जा करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावें तथा दलितो की भूमि दीघर लोगो के कब्जे को 90 दिनों में मुक्त कराकर दलितो को वापस दिया जावें।
8. एफ.आई.आर. में सम्पूर्ण घटनाक्रम का सही–सही उल्लेख नही किया गया है जबकि मेडिकल जांच में घटनाऐं प्रमाणित होती है।
9. ग्राम–डांगावास के जाट समुदाय के 400–500 लोगो द्वारा सामूहिक रूप से एकराय होकर अनुसूचित जाति के लोगो पर हमला कर मृत्यु कारित कर चोट पहुंचाई गई

है। अतः इन लोगो पर सामूहिक दण्ड किया जाकर पीड़ित परिवारों को सहायतार्थ राशि दी जावें।

महोदया, आपसे निवेदन है कि इस जघन्य हत्याकाण्ड की निष्पक्ष व शीघ्र जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाकर पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाया जायें। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो की कृषि भूमि पर दीगर व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जे किये जा रहै है तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 का निर्वाद गति से उल्लंघन हो रहा है इसे अविलम्ब रोका जावें, अन्यथा भविष्य में इसके भयंकर परिणाम हो सकते है।

हमें पूर्ण आशा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलवाएंगें।

भवदीय

जे.पी.विमल **(IAS Retd.)**

अध्यक्ष

मो.नं.–9414027400